

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज, जिला बारां, राज0

पीठासीन अधिकारी संवदन बुधे (आर.पू.एम.)

(81)

सं० 37 / 18
दिनांक 28.05.2018
दिनांक 25.09.2019

बडनवान

1. दयानन्द उम्र 50 वर्ष पुत्र रामचन्द्र जाति धाकड निवासी किशनगंज तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0)
2. रतनबाई उम्र 60 वर्ष पत्नी स्व. हेमराज जाति धाकड निवासी किशनगंज तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0)

.....वादीगण

-वनाम:-

1. धन्नालाल पुत्र हरिलाल जाति धाकड निवासी किशनगंज
2. भीमराज पुत्र । भवानीशंकर जातिगण
3. कृष्णमुरारी पुत्र । धाकड निवासीगण
4. चाहन्याबाई पुत्री । किशनगंज तहसील
5. इन्द्राबाई पुत्री । किशनगंज जिला
6. पुष्पाबाई पुत्री । बारां (राज0)
7. राजेशबाई पुत्री ।
8. मन्जूबाई पुत्री ।
9. मांगीबाई पत्नी स्व. भवानीशंकर जाति धाकड निवासी किशनगंज
10. छीतरलाल पुत्र रामचन्द्र जाति धाकड निवासी किशनगंज
11. दीनदयाल पुत्र सूरजमल जाति धाकड निवासी किशनगंज
12. रामदुलारी पुत्री सूरजमल जाति धाकड निवासी किशनगंज
13. शन्तिबाई पत्नी स्व0 सूरजमल जाति धाकड निवासी किशनगंज
14. लीलाधर ना.बा. पुत्र मनोज ना.बा. की बली माता खुद सीमाबाई जाति धाकड निवासी किशनगंज
15. सीमाबाई पत्नी स्व0 मनोज जाति धाकड निवासी किशनगंज
16. राज0सरकार जरिये तहसीलदार महोदय किशनगंज जिला बारां (राज0)


.....प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.एक्ट

निर्णय

दिनांक 25.09.2019

वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 आर0टी0ए0 जरिये अभिवापक आर0एस0नागर इस आशय का पेश किया कि


उपखण्ड अधिकारी
किशनगंज, जिला बारां (राज0)

यह कि वार्ड घाम किसानगंज पटवार हल्का किसानगंज तहसील किसानगंज जिला बारा (राज्य) में स्थित आराजी खाता सं 494 ख सं 288 रकबा 9.02 बीघा किरम बरानी तृतीय लगानी 3.64 रु. ख सं 317 रकबा 13.08 बीघा किरम बरानी 2 लगानी 8.04 रु. ख सं 1051 रकबा 2.07 बीघा किरम चाही 1 लगानी 8.46 रु. ख सं 1166 रकबा 3.01 बीघा किरम चाही 1 लगानी 10.98 रु. ख सं 1291 रकबा 12.07 बीघा किरम माल 1 लगानी 18.53 रु. ख सं 1442 रकबा 20.10 बीघा किरम बरानी 1 लगानी 18.45 रु. कुल किता 6 कुल रकबा 60.15 बीघा कुल लगानी 68.10 रु. स्थित है।

यह कि वार्ड घाम किसानगंज पटवार हल्का किसानगंज तहसील किसानगंज जिला बारा (राज्य) में स्थित आराजी खाता सं 492 ख सं 1162 रकबा 1.00 बीघा किरम चाड 1 लगानी 3.80 रु. ख सं 1166/1541 रकबा 1.02 बीघा किरम चाड 1 लगानी 3.80 रु. ख सं 1167 रकबा 1.11 बीघा किरम चाड 1 लगानी 5.58 रु. कुल किता 3 कुल रकबा 3.13 बीघा कुल लगानी 13.14 रु. स्थित है।

यह कि वार्ड घाम किसानगंज पटवार हल्का किसानगंज तहसील किसानगंज जिला बारा (राज्य) में स्थित आराजी खाता सं 216 ख सं 743 रकबा 8.13 बीघा किरम बरानी 5 लगानी 7.78 रु. स्थित है।

यह कि वार्ड घाम किसानगंज पटवार हल्का किसानगंज तहसील किसानगंज जिला बारा (राज्य) में स्थित आराजी खाता सं 215 ख सं 1139 रकबा 2.10 बीघा किरम चाही 1 लगानी 2.70 रु. ख सं 1140 रकबा 1.06 बीघा किरम चाही 2 लगानी 3.38 रु. स्थित है। कुल किता 2 कुल रकबा 3.15 बीघा।

यह कि वार्ड घाम लालापुरा पटवार हल्का काकडवा तहसील किसानगंज जिला बारा (राज्य) में स्थित आराजी खाता सं 76 ख सं 127 रकबा 20.04 बीघा किरम बरानी 2 लगानी 18.18 रु. ख सं 138 रकबा 15.08 बीघा किरम बरानी 2 लगानी 13.86 रु. ख सं 139 रकबा 0.16 बीघा किरम बरानी 2 लगानी 0.48 रु. कुल किता 3 कुल रकबा 36.08 बीघा कुल लगानी 32.52 रु. स्थित है।

यह कि वार्ड घाम कामठा पटवार हल्का काकडवा तहसील किसानगंज जिला बारा (राज्य) में स्थित आराजी खाता सं 72 ख सं 91 रकबा 18.04 बीघा किरम माल सोयम लगानी 21.84 रु. स्थित है।

यह कि वार्ड घाम अमलावादा पटवार हल्का काकडवा तहसील किसानगंज जिला बारा (राज्य) में स्थित आराजी खाता सं 163 ख सं 171 रकबा 8.12 बीघा किरम माल 1 लगानी 12.90 रु. स्थित है।

यह कि वार्ड पत्र की मद नं 1 ता 7 की आराजी को आगे वार्ड पत्र में विवादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बंधित किया गया है।

यह कि वार्ड पत्र की मद नं 1 व 5 में वादी कम 1 का हिस्सा 1/6 वादी कम 2 का हिस्सा 1/12 प्रतिवादी कम 1 का हिस्सा 1/4, प्रतिवादी कम 2 ता 9 का हिस्सा 1/4 प्रतिवादी कम 10 का हिस्सा 1/6, प्रतिवादी कम 11 ता 15 का हिस्सा 1/12 राजस्व रिकार्ड में सामग्राही खाते में दर्ज है। एवं वार्ड पत्र की मद नं 2 में प्रतिवादी कम 1 का हिस्सा 1/2 एवं प्रतिवादी कम 2 ता 9 का हिस्सा 1/2 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। एवं वार्ड पत्र की मद नं 3 में वादीगण एवं प्रतिवादी कम 10 ता 15 के सामग्राही खाते में दर्ज है किन्तु सहवन से से हिस्सा 6/6 एवं 1/6 के स्थान पर 6/7 एवं 1/7 खाता दर्ज है जो गलत दर्ज है सही हिस्सा वादी कम 1 का 1/3 वादी कम 2 का हिस्सा 1/6 प्रतिवादी कम 10 का हिस्सा 1/3 एवं प्रतिवादी कम 11 ता 15 का हिस्सा 1/6 दर्ज है। वार्ड पत्र की मद नं 4 में वादी कम 1 का हिस्सा 1/4 वादी कम 2 का हिस्सा 1/4 प्रतिवादी कम 10 का हिस्सा 1/4 प्रतिवादी कम

1291पूर्वो 8.07बी. 12.63रु. वादी कम 1व2
हिस्सा बराबर

317/1पश्चिम 3.00बी 1.80रु. प्रतिवादी कम

113 हि.3/4
कम 14 व 15
हिस्सा 1/4

1291/1पश्चिमी 4.00बी. 6.00रु. प्रतिवादी

कम 10

शानगंज 492 1167 1.11बी. 5.58रु. प्रतिवादी कम1

1162 1.00 3.60रु. प्रतिवादी
ब्रन 2 ता 9

1166/1541 1.02 3.96रु. हिस्सा बराबर

कुल कित्ता 2 कुल रकबा 2.02बी0 7.56रु

शानगंज 216 743 8.13बी. 7.78रु. प्रतिवादी कम10

शानगंज 215 1140 1.05बी. 3.38रु. प्रतिवादी कम10


1139उत्तरी 1.05बी. 3.78रु. वादी कम 1ता2
हिस्सा बराबर

1139/1दक्षिणी 1.05बी. 3.77रु. प्रतिवादी
कम 11 ता13

हि.3/4 प्रतिवादी
कम 14 व 15
हिस्सा 1/4

लालापुरा 76 127पूर्वो 10.02बी. 9.09रु. प्रतिवादी
प0ह0कांकडदा कम 2 ता 9
हिस्सा बराबर

127/1पश्चिमी 10.02बी. 9.09रु. प्रतिवादी कम1


उपखण्ड अधिकारी
शानगंज, जिला बारी (संज.)

138पश्चिमी

8.02बी.

7.09रु.

प्रतिवादी

कम 11 ता 13

हि.3/4 प्रति.14व15

हिस्सा 1/4

(85)

138/1पूर्वी

7.06

6.57रु. वादी कम 1व2

हिस्सा बराबर

139

0.16

0.48रु.

कुल कित्ता 2 कुल रकबा 8.02बी. 7.05रु.

72

91दक्षिणी

4.04बी.

5.04रु प्रतिवादी कम10

कांकडदा

91/1मध्य

9.00बी.

10.80रु वादी कम 1

91/2उत्तरी

5.00बी.

6.00रु. प्रतिवादी

कम 11 ता 13

/4 प्रति.कम 14व 15

सा 1/4

लावदा 163 171

कांकडदा

8.12बी.

12.90रु.

प्रतिवादी

कम 11 ता 13

हि.3/4प्रति.14व15

हिस्सा 1/4

इस प्रकार वाद पत्र की मद नं. 1ता 7 का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य द्वारा हुआ है एवं वादीगण एवं प्रतिवादीगण काबिल काश्त है।

13 यह कि वाद कारण 1.5.2018 को जब वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से बाहमी बंटवारे के मुताबिक राजस्व रिकार्ड में बंटवारा करवाने की कहने एवं प्रतिवादीगण द्वारा मना करने पर ग्राम किशनगंज में उत्पन्न हुआ।

14 यह कि वाद उचित न्यायशुल्क एवं अवधि मध्य प्रस्तुत है।

15 यह कि वाद के सुनवाई का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमान् को प्राप्त है।

16 यह कि राजस्थान सरकार सर्वोच्च भूस्वामी होने के कारण वाद पत्र में प्रतिवादी कम 16 परफोमा पक्षकार बनाया गया है।

17 यह कि अन्य वजुहात वक्त बहस मौखिक निवेदन किये जायेंगे।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगंज, जिला बारी (राज.)



ग्राम अमलावदा पटवार हल्का कांकड़दा की आराजी खाता सं. 163

| खसरा नं | रकबा | किस्म भूमि | लगान |
|---------|-------------------|------------|--------------|
| 171 | 08 बीघा 12 बिस्वा | माल-1 | 12. 90 रुपये |

3. यह कि प्रतिवादी क्रम 11 ता 15 अपने हिस्से की उपरोक्त आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार है प्रतिवादी क्रम 11 ता 15 ने कृषि विकास कार्य करवा रखे है। इसलिये प्रतिवादी क्रम 11 ता 15 पत्र की मद नं. 1 ता 7 में वर्णित आराजी में से अपने हिस्से को पृथक से खाते दर्ज करवाकर करवाने और वादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी है। क्योंकि ती खाता होने से प्रतिवादी क्रम 11 ता 15 अपने हिस्से की आराजी में कृषि विकास कार्य नहीं पा रहे है।

4. यह कि प्रतिवादी क्रम 11 ता 15 का काउण्टर क्लेम उचित न्यायशुल्क पर माननीय न्याय के क्षेत्राधिकार में प्रस्तुत है

5. यह कि अन्य वजुहात बवक्त बहस निवेदन किये जावेंगे।

अतः जवाबदावा एवं काउण्टर क्लेम पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी क्रम 11 का काउण्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर वाद पत्र की मद नं. 1 एवं 4 में वर्णित ग्राम किशनगंज की आराजी खाता सं. 494 खसरा नं. 317/1 पश्चिमी रकबा 03.00 बीघा, खाता सं. 215 नं. 1139/1 दक्षिणी रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा, एवं वाद पत्र की मद नं. 5 में वर्णित ग्राम पुरा की आराजी खाता सं. 76 खसरा नं. 138 पश्चिमी रकबा 08 बीघा 02 बिस्वा तथा वाद पत्र मद नं. 6 में वर्णित ग्राम कामठा की आराजी खाता सं. 72 खसरा नं. 91/2 उत्तरी रकबा 05. 00 एवं वाद पत्र की मद नं. 7 में वर्णित ग्राम अमलावदा की आराजी खाता सं. 163 खसरा नं 171 08 बीघा 12 बिस्वा को प्रतिवादी क्रम 11 ता 15 दीनदयाल पुत्र, रामदुलारी पुत्री, शान्ती बाई स्व. सूरजमल हि. 3/4, लीलाधर नाबा. पुत्र, सीमा बाई पत्नी स्व. मनोज हि. 1/4 नाबा. की माता खुद सीमा बाई के नाम पृथक से खाते दर्ज कर लगान कायम कर चालू राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावे अन्य न्यायोचित सहायता दिलाई जावे।

नेयत तिथि को प्रतिवादी क्रम 1 ता 9 की ओर से जवाब दावा इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि क्रम 1 ता 13 स्वीकार है एवं क्रम 14 ता 17 कानूनी है, प्रार्थना वादी स्वीकार है।

काउण्टर क्लेम

यह कि वाकें ग्राम किशनगंज पटवारी हल्का किशनगंज तहसील किशनगंज में खाता सं. 494 खसरा 288 रकबा 09 बीघा 02 बिस्वा, खसरा सं. 317 रकबा 13 बीघा 08 बिस्वा खसरा सं. 1051 रकबा बीघा 07 बिस्वा, खसरा सं.1166 रकबा 03 बीघा 01 बिस्वा, खसरा सं.1291 रकबा 12 बीघा 07 बिस्वा, खसरा सं. 1442 रकबा 20 बीघा 10 बिस्वा 6 किता की 60 बीघा 15 बिस्वा स्थित है। तथा ग्राम किशनगंज में ही खाता सं. 492 खसरा सं. 1162 रकबा 01 बीघा 00 बिस्वा, खसरा सं. 1166/1541 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा, खसरा सं. 1167 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा कुल 3 किता की कुल 03 बीघा बिस्वा तथा ग्राम लालापुरा पटवार हल्का कांकड़दा में आराजी खाता सं. 76 खसरा सं. 127 रकबा बीघा 04 बिस्वा स्थित है।

यह कि उपरोक्त वर्णित दोनो गावों आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य 50 वर्ष पूर्व निम्न लिखित प्रकार से बंटवारा हो चुका है। जिसके मुताबिक प्रतिवादी क्रम 1 ता 9 काबिज काशत है।

अ.) प्रतिवादी क्रम 1. धन्ना लाल पुत्र हरि लाल जाति धाकड़ निवासी किशनगंज

ग्राम किशनगंज की आराजी खाता सं. 494

खसरा नं.

रकबा

किस्म भूमि

लगान

उपस्थंड अधिकारी
 किशनगंज, जिला बारी (राज.)

| | | | |
|-------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| 288 पूर्वी | 4 बीघा 11 बिस्वा | बारानी-3 | 1. 82 रूपये |
| 1166 दक्षिणी | 1 बीघा 06 बिस्वा | चाही-1 | 4. 68 रूपये |
| 1442 पूर्वी | 10 बीघा 05 बिस्वा | बारानी -1 | 09. 23 रूपये |
| कुल 3 किता | 16 बीघा 02 बिस्वा | | 15. 70 रूपये |

किसनगंज की आराजी खाता सं. 492

| | | | |
|----------|------------------|------------|-------------|
| खसरा नं. | रकबा | किस्म भूमि | लगान |
| 1167 | 1 बीघा 11 बिस्वा | चाही-1 | 5. 58 रूपये |

ग्राम लालापुरा पटवार हल्का कांकड़दा की आराजी खाता सं. 76

| | | | |
|---------------|-------------------|------------|-------------|
| खसरा नं. | रकबा | किस्म भूमि | लगान |
| 127/1 पश्चिमी | 10 बीघा 02 बिस्वा | बारानी-2 | 9. 09 रूपये |

प्रतिवादी कम 2 लगायत 9 भीमराज, कृष्ण मुरारी, पुत्रान, चाहन्या बाई, इन्द्रा बाई, पुष्पा बाई, प्रवेश बाई, मन्जू बाई पुत्रीयां, मांगी बाई पत्नी भवानी शंकर हिस्सा बरा. जाति धाकड़ निवासी
किसनगंज

ग्राम किसनगंज की आराजी खाता सं. 494

| | | | |
|-------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| खसरा नं. | रकबा | किस्म भूमि | लगान |
| 288 पश्चिमी | 4 बीघा 11 बिस्वा | बारानी-3 | 1. 82 रूपये |
| 1166/1 उत्तरी | 1 बीघा 15 बिस्वा | चाही-1 | 4. 68 रूपये |
| 1442/1 पश्चिमी | 10 बीघा 05 बिस्वा | बारानी -1 | 09. 22 रूपये |
| कुल 3 किता | 16 बीघा 11 बिस्वा | | 17. 34 रूपये |


ग्राम किसनगंज की आराजी खाता सं. 492

| | | | |
|-----------|------------------|------------|-------------|
| खसरा नं. | रकबा | किस्म भूमि | लगान |
| 1162 | 1.00 बीघा | चाही-1 | 3. 60 रूपये |
| 1166/1541 | 1 बीघा 02 बिस्वा | चाही-1 | 3.96 रूपये |

कुल 2 किता **02 बीघा 02 बिस्वा** **7. 56 रूपये**

ग्राम लालापुरा पटवार हल्का कांकड़दा की आराजी खाता सं. 76

| | | | |
|------------|-------------------|------------|-------------|
| खसरा नं. | रकबा | किस्म भूमि | लगान |
| 127 पूर्वी | 10 बीघा 02 बिस्वा | बारानी-2 | 9. 09 रूपये |


उपस्थंड अधिकारी
किसनगंज, निहा बाटी (राज.)

3. यह कि प्रतिवादी क्रम 1 ता 9 अपने हिस्से की आराजी के रिकॉर्ड ख़ातेदार है जिसमें प्रतिवादी क्रम 1 ता 9 ने कृषि विकास कार्य करवा रखे है। इसलिये प्रतिवादी क्रम 1 ता 9 को वाद पत्र नं 1 एवं 2 में वर्णित आराजी को पृथक से खाते दर्ज करवाकर बंटवारा करवाने और वादीगण से पाबन्द करवाने के अधिकारी है। क्योंकि शामलाती खाता होने से प्रतिवादी क्रम 1 ता 9 अपने हिस्से की आराजी में कृषि विकास कार्य नहीं करवा पा रहे है।

यह कि प्रतिवादी क्रम 1 ता 9 का काउण्टर क्लेम उचित न्यायशुल्क पर माननीय न्यायालय के अधिकार में प्रस्तुत है

अतः जवाबदावा एवं काउण्टर क्लेम पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी क्रम 1 ता 9 का काउण्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर वाद प. की मद नं. 1 एवं 2 में वर्णित वाकै ग्राम किशनगंज की आराजी खाता सं. 494 खसरा सं. 288 रकबा 09 बीघा 02 बिस्वा, खसरा सं. 317 रकबा 13 बीघा 08 रकबा खसरा सं. 1051 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा, खसरा सं. 1166 रकबा 03 बीघा 01 बिस्वा, खसरा सं. 1291 रकबा 12 बीघा 07 बिस्वा, खसरा सं. 1442 रकबा 20 बीघा 10 बिस्वा 6 कित्ता की 60 बीघा बिस्वा स्थित है। तथा ग्राम किशनगंज में ही खाता सं. 492 खसरा सं. 1162 रकबा 01 बीघा 00 रकबा, खसरा सं. 1166/1541 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा, खसरा सं. 1167 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा कुल 3 कित्ता की कुल 03 बीघा 13 बिस्वा तथा ग्राम लालापुरा की आराजी खाता सं. 76 खसरा सं. 27 रकबा 20 बीघा 04 बिस्वा में प्रतिवादी क्रम 1 ता 9 का हिस्से का बंटवारा काउण्टर क्लेम की मद 2 के अनुसार करके पृथक से खाते दर्ज कर लगान कायम कर चालू राजस्व नक्शे में तरगीम किया जावे अन्य न्यायोचित सहायता दिलाई जावे।

नियत तिथि को प्रतिवादी क्रम 10 की ओर से इस आशय का जवाब पेश किया है कि यह कि क्रम 1 ता 13 स्वीकार है एवं क्रम 14 ता 17 कानूनी है, प्रार्थना वादी स्वीकार है।

उभयपक्ष की बहस सूनी गई वादीगण ने वादपत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया और प्रतिवादीगण ने अपने जवाब में अंकित बिन्दुओं को दोहराया एवं उभयपक्ष ने निवेदन किया कि रिकॉर्ड एवं मौके अनुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी की जावे पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गहनता से अध्ययन किया गया। अद्यतन विवेचनानुसार वादी का पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 आर0टी0एक्ट स्वीकार योग्य है। अतः इस आशय का निर्णय पारित किया जाता कि

—:क्रियात्मक आदेश:—

वाकैग्राम किशनगंज लालापुरा कामठा अमलावदा की आराजी वादपत्र की मद नं01 ता 7 का बंटवारा बाहमी बंटवारा ग्राम खाता संख्या ख0नं0 रकबा लगानी पक्षकार

| किशनगंज 494 | बीघा | बिस्वा | प्रतिवादी क्रम 1 |
|-------------|-------|--------|------------------|
| 288पूर्वी | 4.11 | 1.82 | |
| 1166दक्षिण | 1.06 | 4.68 | |
| 1442पूर्वी | 10.05 | 9.23 | |

किता 3 कुल 16.02 बी0 15.73रू0

| | | | |
|---------------|-------|------|-----------------------|
| 288/1पश्चिमी | 4.11 | 1.82 | प्रतिवादी क्रम 2 ता 9 |
| 1166/1उत्तरी | 1.15 | 6.30 | हिस्सा बराबर |
| 1442/1पश्चिमी | 10.05 | 9.22 | |

किता 3 कुल 16.11बी0 17.34रू0

उपसण्ड अधिकारी
किशनगंज, जिला बारी (राज.)

317 पूर्वी 10.08 6.24 वादी कम 1
1051 2.07 8.46

70

किला 2 कुल 12.15 बी 14.70

1291 पूर्वी 8.07 बी 12.63 रु. वादी कम 1 व 2
हिस्सा बराबर

317 / 1 पश्चिम 3.00 बी 3.80 रु. प्रतिवादी कम

किला 13 हि. 3/4
कम 14 व 15
हिस्सा 1/4

1291 / 1 पश्चिमी 4.00 बी 6.00 रु. प्रतिवादी

कम 10

किला नंज 482 1167 1.11 बी 5.58 रु. प्रतिवादी कम 1

1162 1.00 3.60 रु. प्रतिवादी
कम 2 ता 9

1166 / 1541 1.02 3.96 रु. हिस्सा बराबर

कुल किला 2 कुल रकबा 2.02 बी 7.56 रु.

किला नंज 216 743 8.13 बी 7.78 रु. प्रतिवादी कम 10

किला नंज 215 1140 1.05 बी 3.38 रु. प्रतिवादी कम 10

1139 उत्तरी 1.05 बी 3.78 रु. वादी कम 1 ता 2
हिस्सा बराबर

1139 / 1 दक्षिणी 1.05 बी 3.77 रु. प्रतिवादी
कम 11 ता 13
हि. 3/4 प्रतिवादी
कम 14 व 15
हिस्सा 1/4

सातापुरा 76 127 पूर्वी 10.02 बी 9.09 रु. प्रतिवादी
कम 2 ता 9
हिस्सा बराबर

127 / 1 पश्चिमी 10.02 बी 9.09 रु. प्रतिवादी कम 1

अध्यापक अधिकारी
किला नंज पिना वादी (राज.)

138पश्चिमी 8.02बी. 7.09रु. प्रतिवादी
 कम 11 ता 13
 हि.3/4 प्रति 14व15
 हिस्सा 1/4

138/1पूर्वी 7.06 6.57रु. वादी कम 1व2
 हिस्सा बराबर

139 0.16 0.48रु.

कुल किता 2 कुल रकबा 8.02बी. 7.05रु.

कानठा 72 91दक्षिणी 4.04बी. 5.04रु प्रतिवादी कम10
 प.ह.कांकडदा

91/1मध्य 9.00बी. 10.80रु वादी कम 1

91/2उत्तरी 5.00बी.6.00रु. प्रतिवादी
 कम 11 ता 13

हि.3/4 प्रति.कम 14व 15
 हिस्सा 1/4

अमलावदा 163 171 8.12बी. 12.90रु. प्रतिवादी
 प.ह. कांकडदा कम 11 ता 13
 हि.3/4प्रति.14व15
 हिस्सा 1/4

मुताबिक वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 15 के मध्य के खाता विभाजन के आदेश तहसीलदार किशनगंज को दिये जाते है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 23-09-2019 को सरेइजलास सुनाया गया।



(सन्तन दुने)
 सपस्वण्ड अधिकारी
 जिला नर, किशनगंज
 किशनगंज, जिला नर (कन.)